ए.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनाम

ए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस. (2020 की सिविल अपील संख्या 2197) 18 मार्च, 2020

बी.

**[**एस**.** ए**.** बोबडे**,** सीजेआई। बी**.** आर**.** गवई और सूर्या कान्ट**,** जे**.** जे**.]**

निविदा-अपीलकर्ता-बी. सी. सी. एल. द्वारा 'ओ. बी. को हटाने, कोयले के निष्कर्षण और अग्निशमन के साथ परिवहन के लिए एच. ई. एम. एम. को नियुक्त करने' के उद्देश्य से निविदा आमंत्रित करने का एक नोटिस जारी किया गया था।-अपीलकर्ता का उद्देश्य अनुबंध करने वाली फर्म का होना था जिसने निविदा कार्य को पूरा करने के लिए सबसे कम लागत अनुमान की पेशकश की थी-बोली ऑनलाइन आयोजित की गई थी-जब नीलामी आगे बढ़ी, तो संपर्क की समस्याएं थीं जिससे बोलियां जमा करने में विफलता हुई-अंतराल में, रु. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 12 बजे 2345 करोड़ रुपये:33 अपराह्न तीस मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया गया और नीलामी स्वतः 1 बजे बंद हो गई:03 अपराह्न-उत्तरदाता सं। 1 को सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया-हालाँकि, तकनीकी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, नीलामी दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू की गई और सभी बोलीदाताओं को सूचित किया गया-तदनुसार, उत्तरदाता संख्या सहित कई प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न बोलियां प्राप्त की गईं। 1-नीलामी 1 घंटे और 27 मिनट के विस्तारित समय तक चली-एल. ओ. ए. सफल बोलीदाता को जारी किया गया था, अर्थात उत्तरदाता सं. 6-उत्तरदाता सं। 1 ने यह घोषित करने के लिए रिट याचिका दायर की कि वह सफल बोलीदाता है और प्रत्यर्थी नं. 1 को जारी एल. ओ. ए. को रद्द करने के लिए। 6-यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की ओर से खामियां थीं-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया-हालांकि, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने माना कि प्रक्रियात्मक खामियां थीं और अपीलार्थी द्वारा जारी एल. ओ. ए. को रद्द कर दिया और नीलामी के पुनः संचालन का निर्देश दिया-अपील पर, कहा गया:उच्च न्यायालय की खंड पीठ निविदाओं में न्यायिक समीक्षा के दायरे के आसपास के सिद्धांतों से अवगत थी, हालांकि, यह प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने में विफल रही कि क्या व्यापक सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा था-प्रत्यर्थी का हित नहीं।1 विशुद्ध रूप से निजी और मौद्रिक प्रकृति का था-दूसरे स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षकों, सी. ई. आर. टी.-इन, टी. सी. एल. के साथ-साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि नीलामी प्रक्रिया मिलीभगत से प्रभावित नहीं थी, और संपर्क समस्याओं के अस्तित्व की पुष्टि की जिसके कारण इसे फिर से शुरू करने की आवश्यकता थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

603 ए.

604 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

नीलामी प्रक्रिया-नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले, यह स्पष्ट है कि सभी बोलीदाताओं को यह संदेश दिया गया था कि नीलामी प्रक्रिया को 1 बजे नीलामी बंद होने के बीच की अवधि के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा:03 दोपहर में और दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू करना-इस तरह के एक समान संचार ने न केवल सभी बोलीदाताओं को समान आधार पर रखा, बल्कि ईमेल के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए किसी भी भ्रम की कोई संभावना नहीं थी-नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू होने के कुछ मिनट बाद, बोलियां आने लगीं और बाद में एक दर्जन से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं-इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ का विवादित आदेश अपने निष्कर्ष में सही नहीं है कि अपीलकर्ता की ओर से पर्याप्त प्रक्रियात्मक खामियां थीं-परिणामस्वरूप, खंड पीठ के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

बी.

सी.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा:रिट याचिका की रखरखाव क्षमता

**1.** निविदाओं में न्यायिक समीक्षा के दायरे का कई मामलों में गहराई से पता लगाया गया है। यह तय किया गया है कि संवैधानिक अदालतें केवल किसी निर्णय की वैधता से संबंधित होती हैं, न कि इसकी दृढ़ता से।अलग-अलग शब्दों में, अदालतों को कार्यकारी अधिकारियों या उपकरणों के फैसलों पर अपील में नहीं बैठना चाहिए।प्रशंसनीय निर्णयों को पलटने की आवश्यकता नहीं है, और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य को अक्षांश दिया जाना चाहिए ताकि शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का अतिक्रमण न हो।हालांकि, अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता के आरोप अदालतों के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त आधार होंगे।यह विशेष रूप से हमारी अनूठी घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए सच है, जिन्होंने कई बार न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को प्रदर्शित किया है।इसलिए, यह केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी जो न्यायिक जांच का

विषय होगी, न कि अंतिम परिणाम (सिवाय इसके कि पूर्व के निर्धारण का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक हो)।[पैरा **29] [616-**सी-ई]

डी.

ई.

एफ.

जी.

**2.** ऐसे मामलों में जहां एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, रिट आमतौर पर उचित उपाय होगा।निविदा मामलों में, ऐसा तब हो सकता है जब कोई पक्ष राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के अपने कर्तव्य के लिए पकड़ना चाहता है या उसे मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकता है; या जब कार्यकारी कार्रवाई या विधायी उपकरण ए

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

605

व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी जाती है। हालांकि, जब आरोप पूरी तरह से संविदात्मक अधिकार या कर्तव्य के उल्लंघन के संबंध में हो तो रिट की अनुमति नहीं है।इसलिए, रिट राहत चाहने वाले व्यक्तियों को भी सक्रिय रूप से न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि वह जिस अधिकार की मांग कर रहा है वह सार्वजनिक कानून में एक है, न कि केवल संविदात्मक।ऐसा करने में, वाणिज्यिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और मिलीभगत, अवैधता और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की वास्तविक संभावना के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाता है।[पैरा **32] [617-**सी-ई]

बी.

**3.** वर्तमान मामले में, हालांकि यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायिक समीक्षा के दायरे से जुड़े इन सिद्धांतों से अवगत थी, लेकिन यह प्रभावी रूप से मूल्यांकन करने में विफल रही कि क्या व्यापक सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा था।इसके विपरीत, यह न्यायालय महसूस करता है कि प्रत्यर्थी संख्या **1** का हित विशुद्ध रूप से निजी और मौद्रिक प्रकृति का था।[पैरा **36] [618-**जी]

सी.

डी.

**4.** पहला प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि वह किस सार्वजनिक कानून के अधिकार का दावा कर रहा था।ए. एम. आर.-देव प्रभा के मामले का मुख्य जोर इस तथ्य पर रहा है कि **1:0305.05.2015** पर पीएम को सबसे कम बोली लगाने वाला **(**या **L-1)** घोषित किया गया था।हालांकि**,** एल**-1** बोलीदाता घोषित होने से किसी भी संस्था को अनुबंध देने के लिए सार्वजनिक कानून का अधिकार नहीं मिलता है।**[**पैरा **40] [620-**सी**]**

ई.

नीलामी प्रक्रिया में खामियां

**5.** केंद्रीय सतर्कता आयोग **("**सी**.** वी**.** सी**".)** की विस्तृत जांच रिपोर्ट का लाभ उठाते हुए**,** इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या **4** दोनों ने अपनी क्षमताओं के अनुसार ईमानदारी से काम किया।भले ही यह सच हो कि बी**.** सी**.** सी**.** एल**.** अधिक जिम्मेदारी ले सकता था और सी**1-**इंडिया इंटरनेट मुद्दों की जांच में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता था**,** फिर भी सुधार की संभावना किसी प्राधिकरण की कार्रवाई को रोकने का आधार नहीं हो सकती है।इसके अतिरिक्त**,** निर्णयों को अवैध संतुष्टि**,** या अन्यथा धोखाधड़ी या किसी क़ानून के विपरीत होने का कोई आरोप या तो स्पष्ट रूप से नहीं लगाया गया है या स्थापित नहीं किया गया है।**[**पैरा **44] [621-**ई**-**जी**]**

एफ.

जी.

**6.** यह न्यायालय सीमित बैंडविड्थ की तकनीकी समस्याओं के अस्तित्व में उद्यम करना आवश्यक नहीं समझता है**,** क्योंकि

एच.



ए.

यही तथ्य का सवाल है।हालांकि**,** दूसरे आई**.** ई**.** एम**.,** सी**.** ई**.** आर**.** टी**.-**इन**,** टी**.** सी**.** एल**.** के साथ**-**साथ सी**.** वी**.** सी**.** के समवर्ती निष्कर्ष को देखते हुए**,** हम महसूस करते हैं कि डिवीजन बेंच ने यह ठहराने में गलती की कि कोई तकनीकी कठिनाइयाँ नहीं थीं।इसके अलावा**,** इस तरह का निष्कर्ष बाद की घटनाओं के विपरीत है।यह निष्कर्ष कि कोई इंटरनेट समस्या नहीं थी**,** यह दर्शाता है कि किसी अन्य बोलीदाता ने **12** बजे उत्तरदाता संख्या **1** द्वारा दी गई **2345** करोड़ रुपये की बोली का मुकाबला करना उचित नहीं समझा।**33** पीएम और यह कि यह प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित सबसे कम कीमत थी।हालांकि**,** यह स्पष्ट है कि नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद बोलियां आने लगीं और बाद में एक दर्जन से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं**,** जिसमें **2043** करोड़ रुपये की अंतिम बोली **7** बजे

नीलामी बंद होने से कुछ ही सेकंड पहले लगाई गई थी:**27** पीएम। **[**पैरा **46] [622-**एच**; 623-**ए-बी**]**

बी.

सी.

**7.** समय के विस्तार की मात्रा से संबंधित प्रश्नों में उतरने की भी आवश्यकता नहीं है।यह स्पष्ट है कि सी**.** आई**.-**इंडिया द्वारा सभी को एक ही संदेश दिया गया था**,** जिसमें कहा गया था कि नीलामी प्रक्रिया को **1** बजे नीलामी बंद होने के बीच की अवधि के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा:**03** अपराह्न और **2** बजे फिर से शुरू:**30** पीएम। इस तरह के एक समान संचार ने न केवल सभी बोलीदाताओं को एक समान आधार पर रखा**,** बल्कि ईमेल के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए किसी भी भ्रम की कोई संभावना नहीं थी।जब यह प्रतिवादी संख्या **1** का मामला नहीं है कि उन्होंने सोचा कि नीलामी **7** बजे बंद होगी:**35** प्रधानमंत्री और इसलिए वे जल्दी बंद होने पर आश्चर्यचकित थे**,** और न ही उन्होंने वास्तव में फिर से शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की व्याख्या पर प्रकाश डाला या आपत्ति जताई**,** सवाल विवादास्पद है और इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए।**[**पैरा **49] [623-**जी**; 624-**ए-बी**]**

डी.

ई.

एफ.

प्राधिकारी की व्याख्या का बचाव

**8.** अंत में**,** यह न्यायालय एक अन्य मौलिक समस्या से निपटना आवश्यक समझता है।यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या **1** केवल एन**.** आई**.** टी**.** की शर्तों को लागू करना चाहता है। इस तरह के अभ्यास में अंतर्निहित संविदात्मक शर्तों की व्याख्या है।हालाँकि**,** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाणिज्य के क्षेत्र में अनुबंधों की न्यायिक व्याख्या क़ानूनों की व्याख्या करने की तुलना में एक अलग आधार पर होती है।**[**पैरा **51] [624-**डी**-**ई**]**

जी.

**9.** वर्तमान तथ्यों में**,** यह स्पष्ट है कि बी**.** सी**.** सी**.** एल**.** और सी**1-**इंडिया ने एन**.** आई**.** टी**.** के खंडों का सहारा लिया है**,** चाहे वह ए**.** को उचित ठहराने के लिए हो।

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में उत्तरदाता संख्या **6** की देरी या तकनीकी विफलता के आधार पर नीलामी फिर से शुरू करने के उनके निर्णय की माफी।बी**.** सी**.** सी**.** एल**.** इन दस्तावेजों को लिखने के बाद**,** उनकी आवश्यकताओं की सराहना करने और उनकी व्याख्या करने के लिए बेहतर स्थिति में है।**[**पैरा **52] [624-**ई**-**एफ**]**

**10.** उच्च न्यायालय को इस समझ में गलती करनी चाहिए थी**,** जब तक कि यह स्पष्ट रूप से विकृत या दुर्भावनापूर्ण न हो।यह देखते हुए कि इन खंडों की बी**.** सी**.** सी**.** एल**.** की व्याख्या कैसे प्रशंसनीय थी और बेतुकी नहीं थी**,** केवल संविदात्मक व्याख्या की राय में मतभेद उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर आने का आधार नहीं होना चाहिए था कि अपीलार्थी ने अवैधता की थी।**[**पैरा **53] [624-**एफ**-**जी**]**

बी.

सी.

जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य **(2007) 14** एस**.** सी**.** सी**. 517**

:[2006] 10 पूरक।एससीआर 606; मां बिंदा एक्सप्रेस

वाहक बनाम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे **(2014) 3** एस**.** सी**.** सी**.**

760 :[2013] 12 एस. सी. आर. 529; शोभिका इम्पेक्स (पी) लिमिटेड बनाम

डी.

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी **(2016) 16** एस**.** सी**.** सी**. 233:[2016] 5** एस**.** सी**.** आर**. 319;** रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम**.**आईवीआर

कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (1999) 1 एस. सी. सी. 492:[1998] 3 पूरक।एस. सी. आर. 421-निर्भर।

आर. डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण

ई.

(1979) 3 एससीसी 489:[1979] 3 एस. सी. आर. 1014; टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एस. सी. सी. 651:[1994] 2 पूरक।

एस**.** सी**.** आर**. 122;** राम और श्याम कंपनी बनाम हरियाणा राज्य **(1985)**

3 एससीसी 267:[1985] 1 पूरक।एस. सी. आर. 541; मास्टर मरीन

सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम मेटकाफ एंड हॉज किन्सन (पी) लिमिटेड।

**(2005) 6** एससीसी **138:[2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 666-**संदर्भित।संदर्भित विधि निर्णय

एफ.

**[1979] 3** एससीआर **1014**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

**[1994] 2** पूरक।एससीआर **122**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

**[1985] 1** पूरक।एससीआर **541**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

जी.

**[2006] 10** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 606** पैरा **33 [1998] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था। एस**.** सी**.** आर**. 421** पैरा **39 [2013] 12** एस**.** सी**.** आर**. 529** पर निर्भर था

उस पर भरोसा करें

पैरा **40**

एच.

608 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

ए.

**[2005] 3** एससीआर **666**

संदर्भित किया गया है

पैरा **41**

**[2016] 5** एससीआर **319**

उस पर भरोसा करें

पैरा **47**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2020 की सिविल अपील संख्या 2197।

एल. पी. ए. सं. 466/2017 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 12.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

बी.

के साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 2198,2199 और 2200।

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., पी. एस. नरसिम्हा, एन. के. कौल, डॉ. ए. एम. सिंघवी, अजीत कुमार सिन्हा, जमशेद पी. कामा, किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री अयियाला इमती, अंकुर तलवार, सुश्री चिन्मायी चंद्र, मुनीश मल्होत्रा, मनप्रीत कौर, वन्या खन्ना, रजत भारद्वाज, अविष्कार सिंघवी, सुश्री ऐश्वर्या सिन्हा, आलोक के. सिंह, निपुण कत्याल, इवान, एल. निध्रम शर्मा, अनिल कुमार मिश्रा-I, सुश्री सुरुचि कुमार, माया प्रसाद, इदरीश मोहम्मद, सुपंता सिन्हा, रजनीश प्रसाद, मुकुल सिंह, सयोज मोहनदास, गुरमीत सिंह मक्कर, अरविंद कुमार शर्मा, संतोष शर्मा, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

सी.

डी.

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

न्याय

ई.

1. छुट्टी मंजूर की गई।

2. इन अपीलों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (इसके बाद, "बी. सी. सी. एल".) द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जो रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित दिनांकित आदेश से व्यथित है, जिसमें ए. एम. आर.-देव प्रभा (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर एक रिट याचिका को अनुमति दी गई थी और मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 4, इसके बाद "सी1-इंडिया") द्वारा आयोजित नीलामी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया था और बी. सी. सी. एल. द्वारा मैसर्स आर. के. ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्रतिवादी संख्या 6) को निविदा के परिणामी पुरस्कार को भी रद्द कर दिया गया था।

एफ.

एफ वास्तविक बी आधार

जी.

3. कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बी. सी. सी. एल. भारत में कोकिंग कोयला खदानों का संचालन करती है और अपने संचालन के हिस्से के रूप में नियमित रूप से कई खनन और प्रसंस्करण कार्यों को बाहरी संस्थाओं को आउटसोर्स करती है।इस तरह के कार्यों का आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 [मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "सी1 इंडिया")-एक ऑनलाइन ए

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

609

खरीद सुविधा प्रदाता] को अपने अनुबंधों की ई-निविदा के लिए सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

4. अपीलार्थी द्वारा निविदा आमंत्रित करने की सूचना ("एन. आई. टी".) जारी की गई थी।

ओ. बी. हटाने के लिए एच. ई. एम. एम. की नियुक्ति, ओ. बी. निकालने और परिवहन के उद्देश्यों के लिए XIV, XII, XI/XII, XII, IX/X, V/VI/VII/VIII, IV/VIII, IV (T), IV (B), III, II I (T) और I (B) कुसुंडा क्षेत्र की धनसर-एना कोलियरी के पैच-DE (मेगा प्रोजेक्ट) में सीमों के साथ-साथ पोर्टेबल द्वारा कोयले को कुचलने के लिए।

बी.

क्रशर '(एन. आई. टी. सं. 312)।अपीलार्थी द्वारा ₹1 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य उस फर्म को अनुबंध करना था जिसने निविदा कार्य की पूर्ति के लिए सबसे कम लागत अनुमान की पेशकश की थी।5. बोली सी1-इंडिया के ऑनलाइन ई-रिवर्स नीलामी मंच पर 04.05.2015 और 05.05.2015 पर आयोजित की जानी थी, जिसमें सी1-इंडिया के पास नीलामी प्रक्रिया पर लगभग पूर्ण पर्यवेक्षण और स्वायत्तता थी।बदले में, सी1-इंडिया ने टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड ("टी. सी. एल".) के साथ अपने सर्वर की मेजबानी की थी जो सी1-इंडिया को पट्टे पर दी गई लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान कर रहा था।एन. आई. टी. की शर्तों के अनुसार, नीलामी 6 बजे बंद होगीः0005.05.2015 पर पीएम।हालांकि, 30 मिनट की अवधि के लिए किसी विशेष बोली का जवाब नहीं दिए जाने की स्थिति में नीलामी अपने आप समाप्त हो जाएगी।सेवा प्रदाता की ओर से किसी भी तकनीकी खराबी के मामले में, नीलामी की अवधि को रोका जाना था और गलती की अवधि तक बढ़ाया जाना था; हालाँकि, बोलीदाताओं को अपनी ओर से संपर्क समस्याओं के लिए जिम्मेदार होना था।

सी.

डी.

ई.

6. हालांकि नीलामी पहले दिन सुचारू रूप से चली, 05.05.2015 पर लगभग 12 बजे:55 प्रधानमंत्री, सी1-इंडिया को विभिन्न प्रतिभागियों से कुछ टेलीफोन कॉल प्राप्त हुए हैं जिसमें दावा किया गया है कि संपर्क की समस्याएं थीं जिससे बोलियां जमा करने में विफलता हुई।इस प्रकार सी1-इंडिया द्वारा 12 बजे टी. सी. एल. को एक ईमेल भेजा गया था:59 प्रधानमंत्री ने कहा, "मेरा लिंक डाउन है।"जवाब में, टी. सी. एल. ने 2 पर एक ईमेल के माध्यम से सी1-इंडिया को सूचित किया:11 पीएम ने कहा कि बैंडविड्थ के मुद्दे वास्तव में उनके इंट्रा-सिटी नेटवर्क में दोहरे फाइबर कट के साथ-साथ उनके पैच कॉर्ड में खराबी के कारण अनुभव किए गए थे।मध्यावधि में, मेसर्स ए. एम. आर.-देव प्रभा (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा 12 बजे 2345 करोड़ रुपये की अंतिम बोली लगाई गई:33 पीएम तीस मिनट तक बिना जवाब दिए चले गए, और नीलामी स्वचालित रूप से 1 बजे बंद हो गई:03 पीएम।

एफ.

जी.

7. टी. सी. एल. द्वारा बताए गए इन तकनीकी मुद्दों पर सचेत रूप से ध्यान देते हुए और यह अनुमान लगाते हुए कि अगर ऐसी कोई गलती नहीं हुई तो कम कीमत का पता लगाया जा सकता है, सी1-इंडिया (कथित तौर पर बी. सी. सी. एल. अधिकारियों की सहमति से) ने 2 बजे नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया:30 पीएम। इस तरह

एच.



ए.

समय बढ़ाने की संभावना के साथ फिर से शुरू करने के बारे में सभी बोलीदाताओं को टेलीफोन के साथ-साथ 2 के बीच भेजे गए ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था:17 पीएम और 2:36 पीएम। तदनुसार, कई प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न बोलियां प्राप्त की गईं, जिनमें अब पीड़ित उत्तरदाता संख्या 1 और अंततः सफल उत्तरदाता संख्या 6 से कई बोलियां शामिल थीं। नीलामी 1 घंटे और 27 मिनट के विस्तारित समय तक चली (जिसकी गणना दोपहर 1:03 बजे गलत बंद होने और दोपहर 2.30 बजे फिर से शुरू होने के बीच के व्यवधान के समय के रूप में की गई), और प्रतिवादी नं। 6 को 7 पर 2043 करोड़ रुपये की बोली के साथ सफल घोषित किया गया था:27 पीएम।

बी.

8. यह बी. सी. सी. एल. को सूचित किया गया था, जिसने तब मेसर्स आर. के. ट्रांसपोर्ट (प्रतिवादी संख्या 6, इसके बाद "आर. के. ट्रांसपोर्ट") की पात्रता का आकलन करने के बाद, 30.05.2015 पर स्वीकृति पत्र ("एल. ओ. ए".) जारी किया।पहले सहमत संविदात्मक शर्तों के अनुसार, एल. ओ. ए. की प्राप्ति के 28 दिनों के भीतर एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी थी। प्रतिवादी संख्या 6 ऐसा करने में असमर्थ था, और उसने बी. सी. सी. एल. से अनुपालन के लिए अतिरिक्त दो महीने प्रदान करने का अनुरोध किया।अपीलार्थी ने 18.06.2015 पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 सहित सभी असफल बोलीदाताओं को अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ("ई. एम. डी".) वापस कर दिया।अंत में, 49 दिनों की देरी के बाद आवश्यक गारंटी प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलार्थी द्वारा माफ कर दिया गया और जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया गया।

सी.

डी.

9. नीलामी बंद होने के तीन महीने बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 10.08.2015 पर एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी, जिसमें इस घोषणा के लिए प्रार्थना की गई कि वह 1 पर सफल एल-1 बोलीदाता के रूप में उभरा हैः03 पी. एम. 05.05.2015 पर, और प्रत्यर्थी संख्या 6 को मनमाना होने के लिए अपीलार्थी द्वारा जारी एल. ओ. ए. को रद्द करने के लिए।साथ ही यह भी प्रार्थना की गई कि बी. सी. सी. एल. को अनुबंध देने और पूरे मामले की जांच करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।

ई.

एफ.

10. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 1 ने एन. आई. टी. के खंड 20 को लागू किया, जिसमें एक अखंडता समझौते का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत दो स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षकों ("आई. ई. एम".) को नियुक्त किया गया था।इन दो आई. ई. एम. में से एक से 23.09.2016 पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि कोई तकनीकी समस्या नहीं हुई थी और 2 बजे नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू की गई थीः30 प्रधानमंत्री को अनुचित ठहराया गया था।यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह रिपोर्ट पहले आई. ई. एम. द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो एकतरफा रूप से और सी1-इंडिया और आर. के. ट्रांसपोर्ट को सुने बिना काम कर रही थी।

जी.

11. इसके साथ ही, अपीलार्थी ने दूसरे आई. ई. एम. से संपर्क किया, जिन्होंने सभी पक्षों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

611

इस अवलोकन के साथ कि मिलीभगत की कोई संभावना नहीं थी और यह ध्यान में रखते हुए कि बैंडविड्थ में व्यवधान स्थापित किया गया था और इस प्रकार सी1-इंडिया द्वारा बाद में फिर से शुरू करना निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप था।

12. इस तरह के संघर्ष के आलोक में, बी. सी. सी. एल. ने पहले मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस. टी. क्यू. सी.) निदेशालय से ऑडिट की मांग की, और बाद में उन पर विवाद की तकनीकी प्रकृति के कारण ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की; अपीलार्थी ने सी. ई. आर. टी.-इन (भारत सरकार के संचार और आई. टी. मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र निकाय) के महानिदेशक से संपर्क किया।परिणामस्वरूप सी. ई. आर. टी.-इन द्वारा बी. सी. सी. एल. को 30.12.2015 पर एक 'घटना विश्लेषण रिपोर्ट' प्रस्तुत की गई थी।यह रिपोर्ट मोटे तौर पर दूसरे आई. ई. एम. की टिप्पणियों से सहमत थी और पाया कि यह प्रक्रिया मिलीभगत से प्रभावित नहीं थी, और संपर्क समस्याओं के अस्तित्व की पुष्टि की जिसके कारण नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की आवश्यकता थी।

बी.

सी.

13. आई. डी. 1 पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रथम प्रतिवादी की रिट को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि बी. सी. सी. एल. द्वारा सभी बोलीदाताओं को एक समान अवसर प्रदान किया गया था; वास्तव में एक संपर्क मुद्दा था और नीलामी का बाद में फिर से शुरू होना एन. आई. टी. की शर्तों के अनुसार था; आर. के. ट्रांसपोर्ट को अनुबंध का पुरस्कार मनमाना नहीं था क्योंकि यह न केवल एल-1 था, बल्कि ए. एम. आर.-देव प्रभा की तुलना में बहुत बेहतर बोली की पेशकश भी की थी।इसके अलावा, प्रथम प्रतिवादी को फिर से शुरू की गई नीलामी में भाग लेकर प्रक्रिया में किसी भी संभावित अनियमितता को स्वीकार करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था, और बी. सी. सी. एल. द्वारा आर. के. ट्रांसपोर्ट द्वारा गारंटी जमा करने में देरी को अनुमेय और जनहित में माना गया था।

डी.

ई.

14. इसे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष चुनौती दी थी।लेटर पेटेंट अपील के लंबित रहने के दौरान, ए. एम. आर.-देव प्रभा के वकील ने इस नौकरी के लिए

1950 करोड़ रुपये की कम बोली की पेशकश की, जिसे उन्होंने 2345 करोड़ रुपये की अपनी पिछली बोली से कहीं बेहतर बताया, जो उन्होंने 12 पर की थीः3305.05.2015 पर पीएम।हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था और इसके बजाय 23.11.2017 पर प्रतिवादी संख्या 6 को एक कार्य आदेश जारी किया गया था, जिसने कुछ ही समय बाद काम शुरू कर दिया था।

एफ.

जी.

15. डिवीजन बेंच ने दिनांक 1 के विवादित फैसले के माध्यम से अपील को स्वीकार कर लिया और आर. के. ट्रांसपोर्ट के पक्ष में बी. सी. सी. एल. द्वारा जारी एल. ओ. ए. को रद्द कर दिया और कहा कि सभी परिणामी कार्य अमान्य थे।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने नीलामी को फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया और मामले की सतर्कता जांच का आदेश दिया।लेना।

एच.



ए.

आर. डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण 1 और टाटा सेल्युलर बनाम भारतीय संघ 2 के अनुपात का संज्ञान जिसमें इस न्यायालय ने

निविदा मामलों में न्यायिक समीक्षा की व्यापकता और अनुमति को स्पष्ट करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह परिणाम से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें कार्य-अनुबंध देने का निर्णय लिया गया था।

बी.

16. एन. आई. टी. की शर्तों का विश्लेषण करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रणाली की आवश्यकताओं का पालन करना बोलीदाता की जिम्मेदारी है, जिसमें बी. सी. सी. एल. किसी भी तकनीकी कठिनाइयों या संपर्क विफलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है।सेवा प्रदाता की ओर से तकनीकी/प्रणाली की विफलता के मामले में ही निविदा को रोका जा सकता है और एक बार समाप्त होने के बाद, केवल सीमित परिस्थितियों में ही रद्द किया जा सकता है।न केवल सी1-इंडिया के लिए गैर-कार्रवाई योग्य शिकायतों को लगातार टी. सी. एल. से जोड़ा गया था, जिसका अर्थ था कि सेवा प्रदाता की ओर से कोई समस्या नहीं थी, बल्कि अन्यथा सी1-इंडिया महत्वपूर्ण अवधि के दौरान नीलामी प्रक्रिया को रोकने में विफल रहा, जो उसे एन. आई. टी. की शर्तों के अनुसार होनी चाहिए थी।

सी.

डी.

17. किसी भी कॉल रिकॉर्ड या बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी शिकायतों के अन्य प्रमाण की अनुपस्थिति, नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के संचार में देरी (यह देखते हुए कि कैसे दोपहर 2ः37 बजे तक ईमेल भेजे गए थे, जबकि नीलामी दोपहर 2.30 बजे फिर से शुरू हुई), ए. एम. आर.-देव प्रभा की एल 1 बोलीदाता के रूप में घोषणा को रद्द करने में विफलता और विस्तारित समय (शाम 7ः35 बजे के बजाय 7ः27 बजे) की गलत गणना, अदालत ने कहा कि बी. सी. सी. एल. और सी1-इंडिया नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने में विफल रहे और गंभीर अवैधता की, जिससे प्रक्रियात्मक औचित्य पर संदेह पैदा हुआ और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मनमानेपन का संकेत मिला।एन. आई. टी. की शर्तों से इस तरह के विचलन को न केवल विचलन माना गया, बल्कि निष्पक्ष खेल की पूर्ण कमी का संकेत दिया गया, जिसने पूरी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया, जिससे यह जनहित के विपरीत हो गया और परिणामस्वरूप अवैध हो गया।

ई.

एफ.

सी ऑन्टेंशन्स ऑफ पी आट्र्स

18. मुख्य रूप से प्रारंभिक मामलों पर उच्च न्यायालय के आदेश पर जोर देते हुए, बी. सी. सी. एल. ने जोरदार तर्क दिया कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां न्यायिक समीक्षा संभव हो।इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य या उसके उपकरणों के संविदात्मक लेन-देन में रिट अधिकार क्षेत्र का दायरा बेहद सीमित था, और राज्य के वाणिज्यिक ज्ञान का सम्मान करता था।

जी.

1 (1979) 3 एससीसी 489। 2 (1994) 6 एससीसी 651।

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

613

ए.

कार्यपालिका मानक होना चाहिए।निर्णय लेने की प्रक्रिया को अवैध नहीं दिखाया गया था क्योंकि बाहरी संतुष्टि की प्राप्ति या किसी कानून के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं था; और न ही तर्कहीन था क्योंकि बेहतर कीमत पर पहुंचने के लिए नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय ऐसा नहीं था जिससे किसी उचित व्यक्ति की संवेदनाओं को ठेस पहुंचे; और न ही मनमाना क्योंकि एन. आई. टी. की शर्तों द्वारा पर्याप्त विवेकाधिकार दिया गया था। उत्तरदाता नं. बहाली के बाद निविदा प्रक्रिया में 1 की भागीदारी का तर्क दिया गया था कि वह आगे कोई न्यायिक

चुनौती देने से बंधेगा, और अनुबंध और नागरिक कानून के तहत वैकल्पिक उपचारों का प्रदर्शन किया गया था।यह आगे कहा गया कि पूरी प्रक्रिया को कई स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा बरकरार रखा गया था, कम से कम सीईआरटी-इन और दो आई. ई. एम. में से एक।

बी.

सी.

19. इस तरह के रुख को अपनाते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 4 (सी1-इंडिया) ने तर्क दिया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी देरी, जिसमें उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सी1-इंडिया एक जिम्मेदार ई-सेवा प्रदाता के रूप में पहले यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहा था कि बाधा बोलीदाताओं की ओर से थी या अपनी ओर से।जब तक होस्टिंग और कनेक्टिविटी (यानी टी. सी. एल.) के लिए जिम्मेदार इकाई से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, तब तक नीलामी अपने आप बंद हो गई थी।इसके बजाय, यह तर्क दिया गया कि 2 पर टी. सी. एल. से लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर -11 प्रधानमंत्री, सी1-इंडिया ने बी. सी. सी. एल. के परामर्श से तेजी से निर्णय लिया, और सभी प्रतिभागियों को सूचित करना शुरू किया और 2 बजे बोली लगाना फिर से शुरू किया:30 पीएम। यह रेखांकित किया गया कि किसी भी बोलीदाता के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था।उत्तरदाता संख्या 1 के पास बोली लगाने का पर्याप्त अवसर था, क्योंकि उसने स्वयं फिर से शुरू की गई समय सीमा के दौरान आठ बोलियां प्रस्तुत कीं।इसके अलावा, तीन महीने तक मौन रहने के साथ इस तरह की भागीदारी ने इस बात का प्रमाण दिया कि एएमआर-देव प्रभा ने खुद को एल-1 नहीं माना और वर्तमान कानूनी चुनौती वाणिज्यिक अवसरवाद के अलावा और कुछ नहीं थी।विस्तारित समय की गणना के संबंध में, सी1-इंडिया के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तरह की कोई बात नहीं थी क्योंकि विस्तार की मात्रा को सभी बोलीदाताओं को समान रूप से सूचित किया गया था, और सभी के पास समान जानकारी थी और इसलिए एक समान अवसर था।दावा किया गया था कि फिर से शुरू करने का निर्णय सद्भावना से और सभी कारकों पर विवेकपूर्ण विचार करने पर लिया गया था।इसे जनहित में माना जाता था, और पीछे मुड़कर देखने पर, इसके परिणामस्वरूप केवल सरकारी खजाने के लिए पर्याप्त बचत हुई थी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

20. अपीलार्थी के वकील ने सी1-इंडिया के साथ इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पूरे मुकदमे के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा गोलपोस्ट को बदला जा रहा था।जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष ए. एम. आर-देव

एच.

614

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

ए.

प्रभा ने एन. आई. टी. की शर्तों और सख्त प्रक्रियात्मक अनुपालन का पालन करने की मांग की, लेकिन बाद में वे बड़े सार्वजनिक हित का दावा करते हुए कम कीमत पर मामले को निपटाना चाहते थे।यह प्रदर्शित करने के लिए दावा किया गया था कि कैसे एएमआर-देव प्रभा का हित वास्तव में व्यक्तिगत था और सार्वजनिक नहीं था, और केवल एक या दूसरे तरीके से निविदा जीतने के लिए था और नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नहीं था।न तो नीलामी प्रक्रिया के दौरान और न ही अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रिफंड का लाभ उठाते समय मौके पर विरोध की कमी; और रिट याचिका दायर करने में पर्याप्त देरी (नीलामी प्रक्रिया के 3 महीने से अधिक समय के बाद और एल. ओ. ए. जारी होने के 2 महीने बाद) और कुछ नहीं बल्कि मुकदमेबाजी से बाहर एक वाणिज्यिक अवसर बनाने के उद्देश्य से एक विचार था।इसलिए, वर्तमान कार्यवाही को ए. एम. आर.-देव प्रभा द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का दावा किया गया था और बी. सी. सी. एल. को निविदा देने के लिए केवल एक मौका दिया गया था, जो निजी अधिकारों के संविदात्मक प्रवर्तन से बेहतर नहीं था।

बी.

सी.

21. इसके बजाय, यह प्रस्तुत किया गया था कि कोई भी संभावित दुर्बलता केवल मामूली और अप्रासंगिक थी।निविदा प्रक्रिया और अधिसूचना आमंत्रित निविदा (एन. आई. टी.) के खंडों का एक ठोस अनुपालन किया गया था, और सबसे कम मूल्य की खोज सुनिश्चित करने के लिए जनहित को सबसे आगे रखा गया था।यह तर्क दिया गया था कि अत्यधिक तकनीकी अनुपालन अक्सर संभव नहीं था, और न ही वांछनीय था क्योंकि अक्सर सख्त प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्तमान मामले की तरह मूल समानता के उद्देश्यों को विफल कर सकता है।

डी.

ई.

22. इस प्रक्रिया में किसी भी दुर्भावना या छेड़छाड़ की कमी को प्रदर्शित करने के लिए रिलायंस को सी. ई. आर. टी.-आई. एन. रिपोर्ट पर रखा गया था।टी. सी. एल. के अंत में बाधाओं को स्वाभाविक और परिचालन अक्षमताओं का एक हिस्सा होने का दावा किया गया था जो ई-निविदा प्रक्रियाओं में अनसुना नहीं था।23. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दावा किया कि

नीलामी प्रक्रिया के स्वचालित समापन के आधार पर इसे सबसे कम बोली लगाने वाला (एल-1) घोषित किया गया था:03 पीएम, जिसके बाद कोई भी बहाली अस्वीकार्य और संविदात्मक शर्तों के विपरीत थी।इसके अलावा, एक रंग डालने की मांग की गई थी, यह दावा करते हुए कि इस तरह की बहाली विशेष पक्षों को लाभान्वित करने के लिए थी।बी. सी. सी. एल. द्वारा नई बोली को स्वीकार करने से इनकार करने का दावा किया गया जो पिछले प्रस्ताव की तुलना में 400 करोड़ रुपये से अधिक कम थी।ए. एम. आर.-देव प्रभा के अनुसार, जनहित होना चाहिए

एफ.

जी.

प्राथमिकता दी गई, जो राम और श्याम कंपनी बनाम राज्य के अनुसार

हरियाणा **3** का तात्पर्य यह होगा कि औपचारिक तकनीकीताओं की परवाह किए बिना राज्य उपकरण सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य को स्वीकार करें।

3 (1985) 3 एससीसी 267।

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

615

ए.

24. फिर से शुरू की गई बोली प्रक्रिया में प्रतिवादी 1 की भागीदारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका क्योंकि फिर से शुरू करना ही अवैध था।नीलामी बंद हो गई थी और रुकी नहीं थी, और इसलिए बंद बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करना संभव नहीं था। अन्यथा भी, यह दावा किया गया कि 1 घंटे और 27 मिनट का विस्तार देना गलत था।समय की गणना उस समय से की जानी चाहिए थी जब इंटरनेट प्रभावित हुआ था, जो अपीलार्थी के अनुसार स्वयं 12 से था:55 प्रधानमंत्री ने उन्हें टी. सी. एल. द्वारा सूचित किया। इसलिए 1 घंटे और 35 मिनट (और 1 घंटे और 27 मिनट नहीं) का विस्तार उचित था, जिसके अनुसार नीलामी 7 पर समाप्त होनी चाहिए थी:35 पीएम, और 7 नहीं:27 पीएम। इसी तरह, 2 बजे फिर से शुरू करने के लिए ईमेल:30 पीएम, को 2 बजे कुछ प्रतिभागियों को भेजे जाने के रूप में दिखाया गया था:172 बजे पीएम और अन्य लोगों के लिए:36 पीएम। इसके अलावा, दो व्यक्तियों के 2 बजे सिस्टम में लॉग इन करने का दावा किया गया था:29 पीएम, यानी ई-नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से एक मिनट पहले, जिसने उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में गलत तरीके से बढ़त दिलाई।दो खातों का उपयोग करके एक संस्था द्वारा लॉग इन करने के संबंध में अन्य आरोप भी लगाए गए थे, जिसे एन. आई. टी. के अनुसार अस्वीकार्य बताया गया था।

बी.

सी.

डी.

25. यह सब नीलामी की पूरी प्रक्रिया पर संदेह के गंभीर बादल डालने के लिए किया गया था। कहा जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान भी, सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए 04.11.2015 दिनांकित आदेश का पालन करने के बजाय, BCCL ने मामले को CERT-In को भेज दिया था। हालांकि, पहले आई. ई. एम. ने माना था कि अपीलार्थी का सर्वर टी. सी. एल. के सर्वर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था और अपीलार्थी की ओर से कोई समस्या नहीं थी जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया को रोकने या फिर से शुरू करने की आवश्यकता होगी।26. रखरखाव पर, हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 ने वैकल्पिक उपचार होने की बात स्वीकार की, लेकिन उसने तर्क दिया कि इसे रिट अदालतों तक पहुंचने से रोकने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है।देरी के मुद्दे पर, अपने जवाबी-हलफनामे में, प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा निविदा खंडों के अनुसार 28 दिनों के भीतर प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ।

ई.

एफ.

27. रिट याचिका की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को दिए गए प्रस्ताव पर पर्याप्त जोर दिया गया था, जिसकी अस्वीकृति को जनहित और तय किए गए कानून के विपरीत होने का दावा किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी खजाने के अधिकतम मूल्य को प्राथमिकता देना है।

जी.

एच.



ए.

एक नैलिसिस

28. उपरोक्त चर्चा से दो स्पष्ट विवादग्रस्त मुद्दे उत्पन्न होते हैं।पहला निविदा प्रक्रियाओं की प्रकृति पर विचार करते हुए रिट की रखरखाव से संबंधित है, और दूसरा यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बी. सी. सी. एल. और सी1-इंडिया की ओर से खामियां थीं, वर्तमान मामले के तथ्यों पर उस मानक के अनुप्रयोग से संबंधित है।

बी.

**(I)** लिखित याचिका की रखरखाव क्षमता

29. निविदाओं में न्यायिक समीक्षा के दायरे का कई मामलों में गहराई से पता लगाया गया है। यह तय किया जाता है कि संवैधानिक अदालतें केवल किसी निर्णय की वैधता से संबंधित होती हैं, न कि उसकी दृढ़ता से।4 अलग-अलग शब्दों में, अदालतों को कार्यकारी अधिकारियों या उपकरणों के फैसलों पर अपील में नहीं बैठना चाहिए।प्रशंसनीय निर्णयों को पलटने की आवश्यकता नहीं है, और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य को अक्षांश दिया जाना चाहिए ताकि शक्तियों के संवैधानिक विभाजन का अतिक्रमण न हो।5 हालांकि, अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता के आरोप अदालतों के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त आधार होंगे।यह विशेष रूप से हमारी अनूठी घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए सच है, जिन्होंने कई बार न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को प्रदर्शित किया है।इसलिए, यह केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी जो न्यायिक जांच का विषय होगी, न कि अंतिम परिणाम (सिवाय इसके कि पूर्व के निर्धारण का मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक हो)।30. कानून की इस स्थिति का सारांश टाटा में दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

सेल्युलर बनाम भारत संघ (ऊपर), जहाँ यह प्रसिद्ध रूप से कहा गया था किः

“77. ..... इसलिए, यह निर्धारित करना अदालत का काम नहीं है कि उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष नीति या विशेष निर्णय उचित है या नहीं।यह केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं।निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा मामले-दर-मामले अलग-अलग होगी।संक्षेप में, जिन आधारों पर एक प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः((i) अवैधताःइसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे प्रभावी बनाना चाहिए।

एफ.

जी.

4 सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनामएस. एल. एल.-एस. एम. एल. (ज्वाइंट वेंचर कंसोर्टियम), (2016) 8 एस. सी. सी. 622; सीमेंस एक्टिएंगेसेलिस्चाफ्ट एंड सीमेंस लिमिटेड बनाम।डी. एम. आर. सी. लिमिटेड (2014) 11 एस. सी. सी. 288। 5 एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (2000) 2 एस. सी. सी. 617।

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

617

ए.

((ii) अविवेकता, अर्थात्, वेड्सबरी अविवेकता, (iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता।"

31. लेकिन केवल इसलिए कि लगाए गए आरोप राज्य या उसके उपकरणों के खिलाफ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एक पीड़ित व्यक्ति स्थापित नागरिक न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकता है और सीधे रिट राहत की मांग कर सकता है।यह निर्धारित करने में कि अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना है या नहीं, रिट अदालतों को न केवल विरोधी पक्ष की पहचान तक सीमित रहना चाहिए, बल्कि विवाद की प्रकृति और राहत के लिए भी अनुरोध करना चाहिए।इस प्रकार, हालांकि हर गलत का एक उपाय होता है, गलत की प्रकृति के आधार पर निवारण के लिए अलग-अलग मंच होंगे।

बी.

सी.

32. ऐसे मामलों में जहां एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, रिट आमतौर पर उचित उपाय होगा।निविदा मामलों में, ऐसा तब हो सकता है जब कोई पक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के अपने कर्तव्य के लिए राज्य को पकड़ना चाहता है या उसे मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकता है; या जब कार्यकारी कार्यों या विधायी साधनों को व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी जाती है।हालांकि, जब आरोप पूरी तरह से संविदात्मक अधिकार या कर्तव्य के उल्लंघन के संबंध में हो तो रिट की अनुमति नहीं है।इसलिए, रिट राहत चाहने वाले व्यक्तियों को भी सक्रिय रूप से न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि वह जिस अधिकार की मांग कर रहा है वह सार्वजनिक कानून में एक है, न कि केवल संविदात्मक।ऐसा करने में, वाणिज्यिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और मिलीभगत, अवैधता और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग की वास्तविक संभावना के बीच एक संतुलन बनाए रखा जाता है।

डी.

ई.

33. इस तरह के प्रस्ताव पर इस न्यायालय ने पहले भी ध्यान दिया है

जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य **6** में निम्नलिखित शब्दों में:

"22. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन, तर्कहीनता, अनुचितता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकना है।इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या विकल्प या निर्णय

"कानूनी रूप से" किया गया है और यह जांचना नहीं है कि विकल्प या निर्णय "सही" है या नहीं।जब निविदाओं या अनुबंधों के पुरस्कार से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है।निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं।समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक दूरी पर रहते हैं।यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और जनहित में है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगी।

एफ.

जी.

6 (2007) 14 एससीसी 517।

एच.

618 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

ए.

हस्तक्षेप तब भी किया जाता है जब मूल्यांकन में प्रक्रियात्मक विचलन या त्रुटि या किसी निविदाकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह बनाया जाता है।शक्ति।

लोक हित की कीमत पर निजी हित की रक्षा करने या संविदात्मक विवादों पर निर्णय लेने के लिए न्यायिक समीक्षा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।शिकायत वाला निविदाकर्ता या ठेकेदार हमेशा दीवानी अदालत में हर्जाने की मांग कर सकता है।कृषि संबंधी शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकारों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए, कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के मोलहिल से पहाड़ बनाने के लिए, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया जाना चाहिए।इस तरह

बी.

हस्तक्षेप, या तो अंतरिम या अंतिम, सार्वजनिक कार्यों को वर्षों तक रोक सकता है, या हजारों और लाखों लोगों को राहत और सहायता में देरी कर सकता है और परियोजना की लागत को कई गुना बढ़ा सकता है।"

सी.

(जोर दिया गया)

34. इस तरह का सचेत संयम भी आवश्यक है क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप का अपने आप में समय और धन का प्रभाव पड़ता है, जो अगर अनियंत्रित हो जाता है तो निजी संस्थाओं के साथ अनुबंध करने और व्यापार करने की राज्य की क्षमता पर समस्याग्रस्त प्रभाव पड़ेगा।इसके

अलावा, अदालतों के लिए हर दिन कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किए गए हजारों अनुबंधों की समीक्षा करना वांछनीय या व्यावहारिक नहीं है।न्यायालयों को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि अक्सर कुछ लोगों का निजी हित जनता के सार्वजनिक हित से टकरा सकता है, और इसलिए इस न्यायालय द्वारा 'सार्वजनिक हित' पर प्रभाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता विकसित की गई है।7

डी.

ई.

35. इस प्रकार यह आवश्यक है कि अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन, अवैधता या भेदभाव या अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत स्वतंत्रता के अतिक्रमण के अलावा, समाधान की मांग करने से पहले सार्वजनिक हित का भी प्रदर्शन किया जाए।हालांकि बाद वाले के लिए सीमा अधिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दीवानी अदालतों को दरकिनार करने और संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए संवैधानिक मार्गों के उपयोग को रोकना आवश्यक है।36. वर्तमान मामले में, हालांकि यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायिक समीक्षा के दायरे से जुड़े इन सिद्धांतों से अवगत थी, लेकिन यह प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने में विफल रही कि क्या व्यापक सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा था।इसके विपरीत, हम महसूस करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 का हित विशुद्ध रूप से निजी और मौद्रिक प्रकृति का था।

एफ.

जी.

7 जगदीश मंडल बनाम ओरिसा राज्य, (2007) 14 एस. सी. सी. 51722.

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

619

ए.

37. सबसे पहले, ए. एम. आर.-देव प्रभा की प्रारंभिक प्रार्थना में अनुबंध के पुरस्कार को रद्द करने की मांग की गई थी, जो यदि दिया जाता, तो राज्य उपकरण द्वारा देय राशि को 2043 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2345 करोड़ रुपये कर दिया जाता।दूसरा, वर्तमान कार्यवाहियों के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 का आचरण, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा उजागर किया गया है, जनहित की कमी को और बढ़ाता है।जबकि शुरू में पहला प्रतिवादी बी. सी. सी. एल. की ओर से मनमानेपन के कारण और नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन किए जाने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 को जारी एल. ओ. ए. को रद्द करने की मांग कर रहा था; बाद में, डिवीजन बेंच के समक्ष, प्रतिवादी नंबर 1 ने 1950 करोड़ रुपये का एक नया प्रस्ताव देने की मांग की।

इससे पता चलता है कि कैसे ए. एम. आर.-देव प्रभा की प्राथमिकता केवल अनुबंध को सुरक्षित करना था न कि कानून को बनाए रखना या बड़े सार्वजनिक हित की रक्षा करना।

बी.

सी.

38. अन्यथा भी, इस तरह की प्रार्थना को स्वीकार करने का अर्थ है कि प्रतिवादी संख्या 1 को बातचीत का एक विशेष अवसर मिला होगा, जिससे अन्य सभी प्रतिभागियों को नुकसान होगा, जो संभवतः अनुच्छेद 14 के तहत परिकल्पित समानता का अधिक गंभीर उल्लंघन होगा, प्रक्रिया संबंधी पालन की तुलना में जिसे वे शुरू में संरक्षित करना चाहते थे।39. इसके अतिरिक्त, हम प्रथम प्रतिवादी के इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि जब भी सरकारी खजाने को शामिल किया जाता है तो एक निश्चित सार्वजनिक हित दांव पर होता है।केवल बोली मूल्य के अलावा, तकनीकी क्षमता और समय पर पूरा करने जैसे कई कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।और इस तरह की व्याख्या को अपनाने से राज्य से जुड़े संविदात्मक विवादों और सार्वजनिक कानून को प्रभावित करने वाले विवादों के बीच की रेखा स्थायी रूप से धुंधली हो जाएगी।इस पर रौनक में उचित रूप से प्रकाश डाला गया है।

डी.

ई.

इंटरनेशनल लिमिटेड बनामआई**.** वी**.** आर**.** कंस्ट्रक्शन लिमिटेड **8**

“11. जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य द्वारा किसी अनुबंध के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जाती है, तो न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी याचिका पर विचार करने में सार्वजनिक हित का कुछ तत्व शामिल है।अगर इसके लिए

एफ.

उदाहरण के लिए**,** विवाद विशुद्ध रूप से दो निविदाकारों के बीच है**,** अदालत को यह देखने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि क्या मुकदमे में जनहित का कोई तत्व शामिल है।दो निविदाकारों द्वारा दी गई कीमतों में केवल अंतर यह तय करने में निर्णायक हो सकता है या नहीं कि इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन में हस्तक्षेप करने में कोई सार्वजनिक हित शामिल है या नहीं।यह महत्वपूर्ण है

जी.

यह ध्यान में रखने के लिए कि अदालत के हस्तक्षेप से प्रस्तावित परियोजना में काफी देरी हो सकती है जिससे लागत कहीं अधिक बढ़ सकती है

8 (1999) 1 एससीसी 492।

एच.

620 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

ए.

किसी भी बचत की तुलना में जिसे अदालत अंततः एक निविदाकार या दूसरे निविदाकार के पक्ष में विवाद का फैसला करके सार्वजनिक धन में लागू करेगी।इसलिए, जब तक अदालत का यह समाधान नहीं हो जाता है कि काफी मात्रा में जनहित है, या लेन-देन दुर्भावनापूर्ण है, तब तक अदालत को दो प्रतिद्वंद्वी निविदाकारों के बीच विवादों में अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

बी.

(जोर दिया गया)

40. इसके अलावा, पहला प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि वह किस सार्वजनिक कानून के अधिकार का दावा कर रहा था।ए. एम. आर.-देव प्रभा के मामले का मुख्य जोर इस तथ्य पर रहा है कि 1:0305.05.2015 पर पीएम को सबसे कम बोली लगाने वाला (या L-1) घोषित किया गया था।हालांकि, एल-1 बोलीदाता घोषित किए जाने से किसी भी संस्था को पुरस्कार देने के लिए सार्वजनिक कानून का अधिकार नहीं मिलता है।

सी.

अनुबंध, जैसा कि मां बिंदा एक्सप्रेस वाहक बनाम उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे 9 में उल्लेख किया गया है:

"8. राज्य द्वारा अनुबंधों के अधिनिर्णय से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा और इसके साधन इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी कतार द्वारा तय किए जाते हैं।हालांकि ये निर्णय स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अनुबंध के आवंटन के संबंध में सरकार और उसके उपकरणों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति एक पीड़ित पक्ष के कहने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ऐसी निविदाओं को आमंत्रित करने वाले नोटिस के जवाब में निविदा प्रस्तुत करना एक प्रस्ताव देने से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे स्वीकार करने के लिए राज्य या उसकी एजेंसियां बाध्य नहीं हैं।बोली लगाने वाले

डी.

ई.

इसलिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उनकी निविदाएं केवल इसलिए स्वीकार की जानी चाहिए क्योंकि दी गई निविदा सबसे अधिक या सबसे कम है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि अनुबंध सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री के लिए है या सरकार की ओर से कार्यों के निष्पादन के लिए।वे सभी भाग लेने वाले बोलीदाता

एफ.

वे अपनी निविदाओं के मूल्यांकन के मामले में निष्पक्ष, समान और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार के हकदार हैं।यह भी काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक अनुबंध का पुरस्कार अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है जिसे ऐसे वाणिज्यिक निर्णय के लिए प्रासंगिक विचार के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।इसका तात्पर्य यह है कि जिन शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, वे न्यायिक जांच के लिए तब तक खुली नहीं हैं जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि वे किसी विशेष निविदाकार को लाभान्वित करने के लिए तैयार की गई हैं।

जी.

9 (2014) 3 एससीसी 760।

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

621

ए.

या निविदाकारों का वर्ग।इसी तरह, निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकरण बातचीत में प्रवेश कर सकता है या प्रामाणिक और ठोस कारणों के लिए छूट दे सकता है बशर्ते कि इस तरह की छूट निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली शर्तों के तहत अनुमत हो।"

(जोर दिया गया)

बी.

**41.** इसके बजाय**,** इस न्यायालय द्वारा मास्टर मरीन में पूर्ववर्ती निर्धारित किया गया है

सर्विसेज **(**पी**)** लिमिटेड बनाम मेटकाफ एंड हॉज किन्सन **(**पी**)** लिमिटेड**, 10** स्पष्ट करता है कि

यदि पुनः बोली लगाने की प्रार्थना बेहतर मूल्य प्राप्त करने की इच्छा के कारण है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 को शामिल नहीं किया जाएगा।

सी.

42. इसके अलावा, एन. आई. टी. की शर्तों पर पहले प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कार्यवाही के दौरान नियमित सहारा लिया गया था। विवादित आदेश के निष्कर्ष भी इस तरह की संविदात्मक शर्तों की विवादित व्याख्या पर आधारित थे।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न तो पहले प्रतिवादी का कोई सार्वजनिक कानून अधिकार था जो प्रभावित हुआ था, न ही किसी सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी।

डी.

**(II)** नीलामी प्रक्रिया में दुर्बलताएँ

43. गुण-दोष पर भी, हम यह महसूस नहीं करते हैं कि विवादित आदेश अपने निष्कर्ष में सही है कि बी. सी. सी. एल. और सी1-इंडिया की ओर से पर्याप्त प्रक्रियात्मक खामियां थीं जो मनमानेपन के बराबर हैं, और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उनका निवारण किया जाना चाहिए।

ई.

44. इसके बजाय, केंद्रीय सतर्कता आयोग ("सीवीसी") की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट का लाभ उठाते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 4 दोनों ने अपनी क्षमताओं के अनुसार ईमानदारी से काम किया।भले ही यह सच हो कि बी. सी. सी. एल. अधिक जिम्मेदारी ले सकता था और सी1-इंडिया इंटरनेट मुद्दों की जांच में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता था, फिर भी सुधार की संभावना किसी प्राधिकरण की कार्रवाई को रोकने का आधार नहीं हो सकती है।इसके अतिरिक्त, निर्णयों को अवैध संतुष्टि, या अन्यथा धोखाधड़ी या किसी क़ानून के विपरीत होने का कोई आरोप या तो स्पष्ट रूप से नहीं लगाया गया है या स्थापित नहीं किया गया है।

एफ.

जी.

45. इस प्रकार इस स्तर पर सीवीसी द्वारा की गई तथ्य खोज जांच के समापन अंश को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार हैः

10 (2005) 6 एससीसी 138।

एच.



ए.

“यह दर्ज करना महत्वपूर्ण है कि 13 पर प्रणाली द्वारा उत्पन्न रिवर्स नीलामी को बंद करने की अधिसूचनाः03:47 मेसर्स ए. एम. आर. देव प्रभा द्वारा जमा किए गए 05.05.2015 पर घंटे, वास्तव में, एक अन्य बोलीदाता मेसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड के हैं। न तो बी. सी. सी. एल. और न ही सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कभी इस तरह की अधिसूचना को रिकॉर्ड पर रखा है।यह स्पष्ट नहीं है कि मेसर्स ए. एम. आर. देव प्रभा को यह दस्तावेज़ कैसे और कब मिला, जो वास्तव में मेसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड का था और जो मेसर्स ए. एम. आर. देव प्रभा के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले होने का दावा करने का आधार बना।यह भी देखा गया है कि 13 बजे प्रणाली द्वारा नीलामी को बंद करने की अधिसूचना जारी करने का यह महत्वपूर्ण तथ्यः03:47 घंटे, क्योंकि मेसर्स ए. एम. आर. देव प्रभा की बोली 30 मिनट की निर्दिष्ट

अवधि के लिए अनुत्तरित रही, न तो सी1 इंडिया द्वारा बी. सी. सी. एल. को सूचित किया गया और न ही भाग लेने वाले बोलीदाताओं को।इस तरह, नीलामी को बंद करने की अधिसूचना, भले ही बोलीदाताओं के सर्वर के साथ संपर्क में रुकावट की अवधि के दौरान उत्पन्न हुई हो, नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले इसे 'अमान्य' घोषित किया जाना चाहिए था। यहां तक कि बी. सी. सी. एल. ने रुकावट अवधि के लिए सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी ताकि रिवर्स नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले निर्णय लिया जा सके।इसके अलावा, यह देखते हुए कि इस अवधि के दौरान बी. सी. सी. एल. बोलीदाताओं द्वारा सामना की जा रही संपर्क समस्या से अवगत था, उसे गहन वास्तविक समय निगरानी का प्रयोग करना चाहिए था जो नहीं किया गया है।ऐसा करने में विफलता इस तथ्य का प्रतिबिंब है कि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस तरह की घटना को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त घटना प्रबंधन प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

हालांकि बी. सी. सी. एल. की ओर से नियंत्रण और पर्यवेक्षण की कमी थी, लेकिन समिति को उनकी ओर से दुर्भावनापूर्ण सुझाव देने वाला कोई सबूत नहीं मिला है।जहां तक सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का संबंध है, उनका आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया है।"

जी.

46. हम सीमित बैंडविड्थ की तकनीकी समस्याओं के अस्तित्व में उद्यम करना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि यह तथ्य का सवाल है।हालांकि, दूसरे आई. ई. एम., सी. ई. आर. टी.-इन, टी. सी. एल. के साथ-साथ सी. वी. सी. के समवर्ती निष्कर्ष को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि डिवीजन बेंच ने ए में गलती की।

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

यह मानते हुए कि कोई तकनीकी समस्याएं नहीं थीं।इसके अलावा, इस तरह का निष्कर्ष बाद की घटनाओं के विपरीत है।यह निष्कर्ष कि कोई इंटरनेट समस्या नहीं थी, यह दर्शाता है कि किसी अन्य बोलीदाता ने 12 बजे उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दी गई 2345 करोड़ रुपये की बोली का मुकाबला करना उचित नहीं समझा।33 पीएम और यह कि यह प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित सबसे कम कीमत थी।हालांकि, यह स्पष्ट है कि नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद बोलियां आने लगीं और बाद में एक दर्जन से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं, जिसमें 2043 करोड़ रुपये की अंतिम बोली 7 बजे नीलामी बंद होने से कुछ ही सेकंड पहले लगाई गई थी:27 पीएम।

बी.

47. प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा गारंटी प्रस्तुत करने में देरी को माफ करने से संबंधित अन्य आरोपों के संबंध में, हम केवल यह दोहराएंगे कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वास्तविक कारणों से छूट देने के खिलाफ कानून में कोई प्रतिबंध नहीं है।शोभिका इम्पेक्स (पी) लिमिटेड में।

सी.

**v.** केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी **11,** यह नोट किया गया है किः

"... राज्य किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपना तरीका चुन सकता है और यदि निविदा की शर्तें इस तरह की छूट की अनुमति देती हैं तो वह वास्तविक कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें।यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तब भी न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए और इसका उपयोग केवल लोक हित को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि केवल कानूनी मुद्दे को बनाने के लिए।"

डी.

ई.

48. भले ही एन. आई. टी. की स्पष्ट शर्तों से मामूली विचलन हुआ हो, लेकिन अदालतों के लिए एक असफल बोलीदाता के कहने पर निविदा को दरकिनार करना दुर्भावना के अभाव में अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा।12 ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी कार्यकारी निर्णय को पलटने के प्रभाव और लागत में वृद्धि या देरी के रूप में व्यापक सार्वजनिक हित पर इसके प्रभाव के बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए।

एफ.

49. समय के विस्तार की मात्रा से संबंधित प्रश्नों में उतरने की भी आवश्यकता नहीं है।यह स्पष्ट है कि सी. आई.-इंडिया द्वारा सभी को एक ही संदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि

नीलामी प्रक्रिया को 1 बजे नीलामी बंद होने के बीच की अवधि के बराबर अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा:03 अपराह्न और 2 बजे फिर से शुरू:30 पीएम। इस तरह के एक समान संचार ने न केवल सभी बोलीदाताओं को एक समान आधार पर रखा, बल्कि कोई नहीं था

जी.

11 (2016) 16 एससीसी 233।

एच.



ए.

ईमेल के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए किसी भी भ्रम की संभावना।जब यह प्रतिवादी संख्या 1 का मामला नहीं है कि उन्होंने सोचा कि नीलामी 7 बजे बंद होगी:35 प्रधानमंत्री और इसलिए वे जल्दी बंद होने पर आश्चर्यचकित थे, और न ही उन्होंने वास्तव में फिर से शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की व्याख्या पर प्रकाश डाला या आपत्ति जताई, सवाल विवादास्पद है और इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए।

बी.

50. इसके अतिरिक्त, हम प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित रिट दाखिल करने में देरी के औचित्य में भी योग्यता नहीं देखते हैं।यह दावा किया जाता है कि कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 6 28 दिनों की अवधि के भीतर गारंटी जमा करने में विफल रहा।हालाँकि, हम यह नहीं देखते हैं कि यह ए. एम. आर.-देव प्रभा को नीलामी की पूरी प्रक्रिया को चुनौती देने या प्रतिवादी संख्या 6 और अपीलार्थी के बीच अनुबंध की गोपनीयता के तय किए गए कानूनी सिद्धांत को दूर करने की अनुमति कैसे देगा।

सी.

**(III)** प्राधिकरण की व्याख्या का बचाव

51. अंत में, हम एक और बुनियादी समस्या से निपटना आवश्यक समझते हैं।यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 केवल एन. आई. टी. की शर्तों को लागू करना चाहता है। इस तरह के अभ्यास में अंतर्निहित संविदात्मक शर्तों की व्याख्या है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाणिज्य के क्षेत्र में अनुबंधों की न्यायिक व्याख्या क़ानूनों की व्याख्या करने की तुलना में एक अलग आधार पर होती है।

डी.

52. वर्तमान तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि बी. सी. सी. एल. और सी1-इंडिया ने एन. आई. टी. के खंडों का सहारा लिया है, चाहे वह प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने में प्रतिवादी संख्या 6 की देरी को माफ करने या तकनीकी विफलता के आधार पर नीलामी को फिर से शुरू करने के उनके निर्णय को सही ठहराने के लिए हो।बी. सी. सी. एल. इन दस्तावेजों को लिखने के बाद, उनकी आवश्यकताओं की सराहना करने और उनकी व्याख्या करने के लिए बेहतर स्थिति में है।13

ई.

एफ.

53. उच्च न्यायालय को इस समझ को स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से विकृत या दुर्भावनापूर्ण न हो।यह देखते हुए कि इन खंडों की बी. सी. सी. एल. की व्याख्या कैसे प्रशंसनीय थी और बेतुकी नहीं थी, केवल संविदात्मक व्याख्या की राय में मतभेद उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर आने का आधार नहीं होना चाहिए था कि अपीलार्थी ने अवैधता की थी।

जी.

सी निष्कर्ष

54. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा दायर अपील के साथ-साथ मैसर्स आर. के. ट्रांसपोर्ट द्वारा दायर संबंधित अपीलें

13 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2016) 16 एस. सी. सी. 81815.

एच.

द भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनामए. एम. आर. देव प्रभा और ओ. आर. एस.

625

ए.

और मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुमति है।नतीजतन, ए. एम. आर.-देव प्रभा द्वारा दायर अपील खारिज कर दी जाती है।उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के दिनांकित 12.04.2018 के फैसले को निर्धारित किया गया है और AMR-देव प्रभा द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

बी.

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.